बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :– मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 में संशोधन।

राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है।

2. योजना के तहत परियोजना के कम समय में सुचारू रूप से पूरा करने हेतु संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 की निम्न संशोधन किया जाता है :–

i. कंडिका–2(iv)– आवेदकों की उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक निर्धारित किया जाता है।
ii. कंडिका–6– लाभुकों को स्वीकृत परियोजना राशि की विमुक्ति 02 (दो) चरणों (किस्तों) में की जायेगी।

3. संकल्प संख्या 782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका–6 के बाद निम्न कंडिका 6 (क) जोड़ा जाता है :–

6 (क) इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को सम्बंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात 03 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किश्त की राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूची लेते हुए

लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। द्वितीय किश्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किश्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।

4. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

5. यह संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

6. दिनांक 19.04.2021 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मद संख्या– 03 के रूप में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ब्रजेश 13/5/21

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ब्रजेश 13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ब्रजेश 13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0 / अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र / 04 / 2018

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सचिव / मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0 / अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र / 04 / 2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1036 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0 / अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र / 04 / 2018

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।